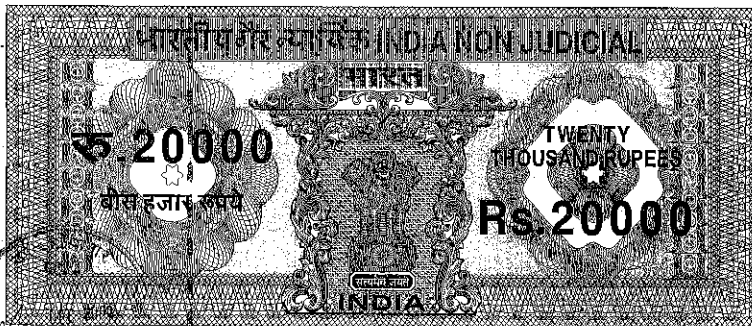




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714238

16

वारिसान फरीक अब्बल का कोई वास्ता या ताल्लुक
किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा ना ही

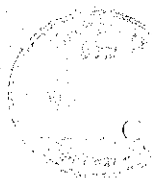
नी अंश

8

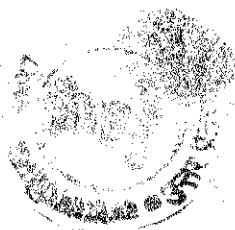
कार्यालय उम कोबागार
दादरी

17 DEC 2009

स्टाम्प नं० 16 रकम 2000/-
स्टाम्प नं० 7 में शामिल किया गया
उप रोकडिया



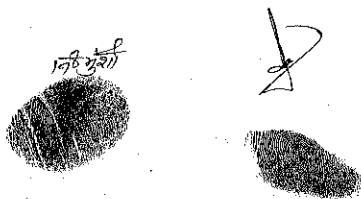
सर्वोच्च न्यायालय, कोबागार, दादरी
कोबागार, दादरी, महाराष्ट्र





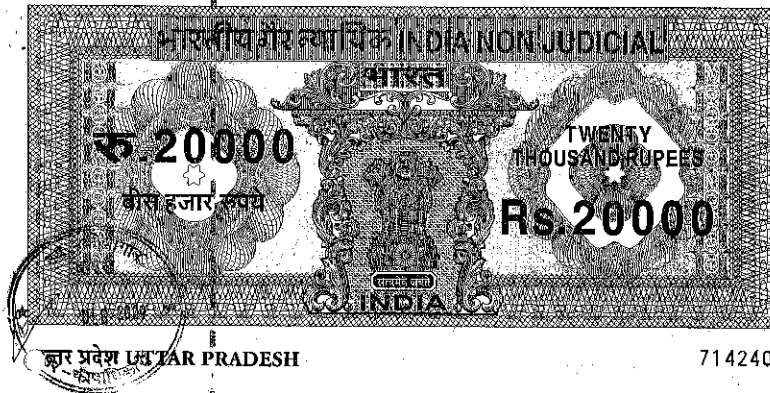
17

भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को
बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज



कार्यालय उप कोषागार दादर 17 DEC 2009 स्टाम्प नं० 12 वी 2009 स्टाम्प नं० 1 में शामिल किया गया उप शेकडिंग
--





18

की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को

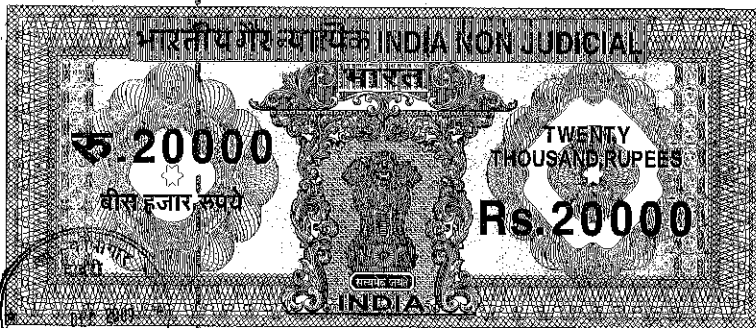
15/8/2008

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

17 DEC 2009

स्टाफ नो. 18 पर 2689
स्टाफ नो. 7 में शामिल किया गया
उप कोषागार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714241

19

जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर
चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि

निर्भर

8

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

17 DEC 2009

स्टाफ नं० 19 2009
स्टाफ नं० 1 में शामिल किया गया
उप रोयल्टी



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

भारत

INDIA

DEC 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714242

20

विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुकश कानूनी
कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक

नकी फुंशी



कार्यालय उप कोषागार
वापसी

17 DEC 2009

रकम नं० 2^० रु० 2000^{००}
रकम नं० 1 में शामिल किया गया
उप रोकडिया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714243

21

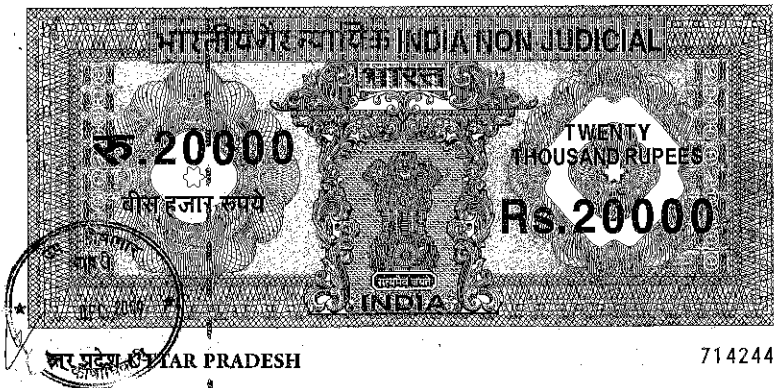
दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम को न
मिले या फरीक अव्वल मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता

नरेश कुमार



कार्यालय उप कोषागार
दादरी
17 DEC 2009
स्टाम्प नं० 21 को 21/12/09
स्टाम्प नं० 1 में शामिल किया गया
उप रोकरिंग





22

सिद्ध न हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे
मालिकाना फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से

श्री मुंजी



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

17 DEC 2009

स्टाफ नं. 22-100-2009
स्टाफ नं. 1 में शामिल किया गया
उप सेक्रेटरी





23

निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को
हक होगा कि वह उस समय की बजार कीमत को

नोटिफिकेशन

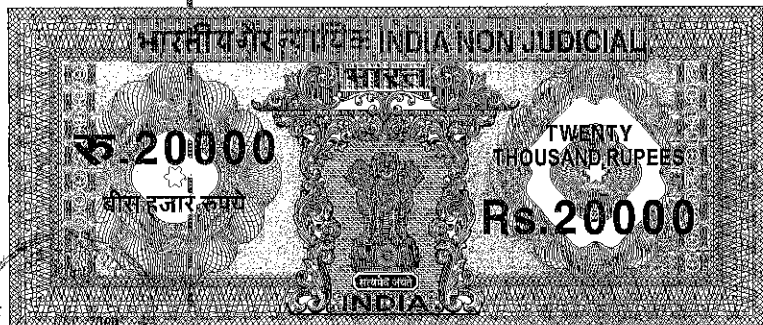
कार्यालय उप कोषागार
दादरी

17 DEC 2009

रकम नं. 23
रकम नं. 23

रकम नं. 23 में शामिल किया गया
उप चेकडिप





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714246

24

जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक अब्बल व
वारसान फरीक अब्बल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति

ली मुंशी



कार्यालय उप कोषागार
दादरी
17 DEC 2009
रकम नं. 24 को 2009
रकम नं. में शामिल किया गया
उप लेखांकिया





प्रदेश UTTAR PRADESH

714248

25

से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। दाखिल
खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा

नीचे

2

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

17 DEC 2009

स्टाम्प नं. 26/000-2009
पत्राभ नं. 7 में शामिल किया गया
रुप रोका दिया





प्रदेश **UTTAR PRADESH**
विप्रायिका

714247

26

दूंगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर
सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें

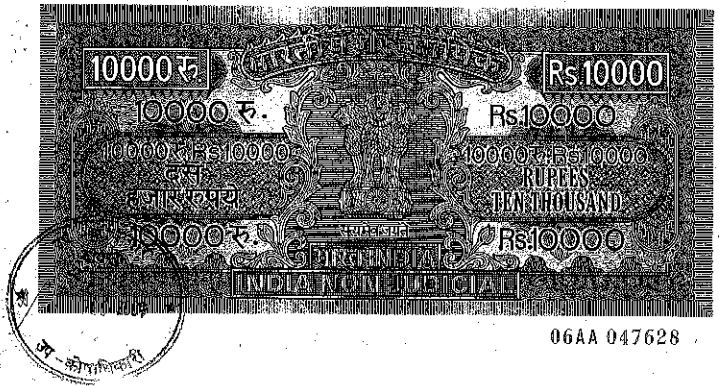


कार्यालय उप कोषागार
दादरी

17 DEC 2009

स्टाम्प नं. 2500 2500
स्टाम्प नं. 1 में शामिल किया गया
उप रोफंडिंग





27

तो कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है
तथा आस-पास भी कृषि भूमि है।

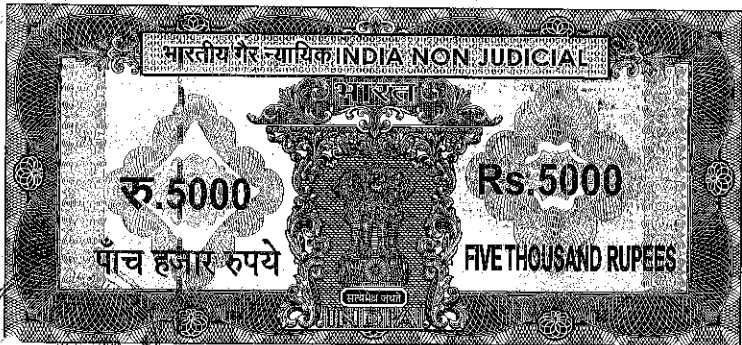


कार्यालय उप कोषागार
नादरी

17 DEC 2009

स्टाम्प नं० १२२ परा १५/१२/०९
स्टाम्प नं० १ में संमिल किया गया
उप रोड डिवा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 537577

28

विवरण धन अदायगी :- द्वारा एकाउन्ट पेयी तीन किता
चैक नं० 975650 अंकन 30,00,000/- रुपये व चैक नं०
975651 अंकन 30,00,000/- रुपये व चैक नम्बर
975652 अंकन 12,58,000/- रुपये तीनों चैक दिनांक
17-12-2009 ई० पंजाब नेशनल बैंक, मिड कॉरपोरेट शाखा
ए-9 कनॉट पैलेस, नई दिल्ली के द्वारा तथा शेष अंकन
5,22,000/- रुपये पेशगी इस प्रकार कुल अंकन
77,80,000/- रुपये फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दायम
(क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की
ओर बाकी नहीं रहा है।

नीचे



3 17/12/09
स्वामि नं०..... स्वामि विषय की तिथि.....

स्वामि कर्म करी का प्रयोग.....

स्वामि सेवा का समय व प्रा०.....

स्वामि की धाराधि:.....

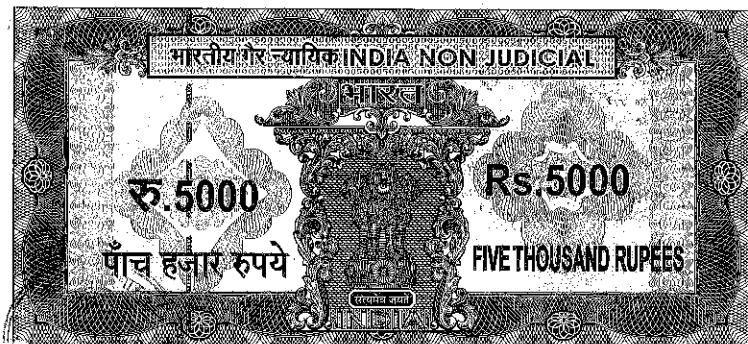
अशोक कुमार स्वामि विकेना

संविदा सं० ३, सं० की संविदा 31-3-2010

संविदा सं० ३, सं० की संविदा 31-3-2010

विपरीत सीमा 15000/-





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 537578

29

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अब्बल व
फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की
गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर
सत्यापित है।



पत्र सं०.....¹/₁.....स्टाम्प विक्रय की तिथि..... 17/11/2010

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.....

स्टाम्प प्रेषण का नाम व पता.....

स्टाम्प की प्रतिलिपि.....

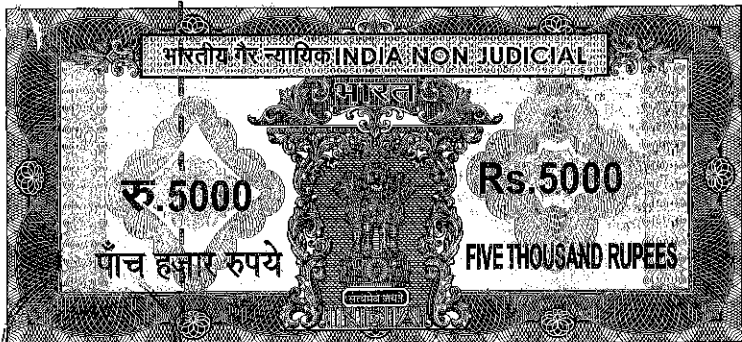
अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

कलकत्ता नं० ३, स.०. की अवधि 31-3-2010

राष्ट्रीय प्रतियोगिता, जालंधर

बिक्री कीमत 15000/-





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 537579

30

अतः यह विज्ञापन पत्र कर्तव्य लिख दिया कि प्रमाण रहे और वकालत पर काम आये। हस्ता।।



गवाह - 1 दीपक

(3) गवाह - बिजेन्द्र कुमार

दीपक जगदीश कर्मा

नीवासि उमा दत्तावली

नरेंद्र कुमार



गवाह - 2

नरेंद्र कुमार

नरेंद्र कुमार

17/12-9

तारीख 17-12-2009 ई0 मसीदाकर्ता राधेदयाल अग्रवाल बैतुल
लेखक, दादरी (गीतगबुद्धनगर) लाइसेन्स नं0-1
बैतुल लेखक (ता.न.-1)
गहरील-दादरी (गीतगबुद्धनगर)

5
स्टाम्प नं०.....स्टाम्प विक्रेता की तिथि..... 17/12/09

स्टाम्प प्राप्त करने का प्रयोग.....

स्टाम्प लेता का नाम व पता.....

स्टाम्प की पंजीति.....

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

तारिख नं० 9, ला० की अधि J1-3-2010

तहसील कांभारखंड, जयपुरी

पिछली सीमा 15000/-

17/12/09

24/10

24/5
306

13053

